FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

• खादिम मोइनुददीन पुत्र उमराव स्या, जाति मुसलमान निवासी ग्राम अराई तहसील अराई व अन्य
–वादी

बनाम

• राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई जिला अजमेर
–प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 136 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 116/2024

ऑनलाइन नंबर 2024/ 191

वकील प्रतिवादीगण........

वकील वादीः– श्री लेखुमंगानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24.12.2024	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री लेखुमंगानी अन्तर्गत धारा 136 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 17/1/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई	
17-1-25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार ...... दिनांक 31/1/25 को पेश हो।	
31.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी अनु0। प्रतिवादी की पुनः तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 14.2.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	
14/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.......... दिनांक 28/2/25 को पेश हो।	

28/11/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
तहसील जाँच पोल रिपोर्ट प्राप्त हुई।
जाँच पोल रिपोर्ट मुताबिक उक्त प्रार्थना पत्र
खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से टंकित
कर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो। /WD

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 116/2024

1. खादिम मोईनुद्दीन पुत्र उमराव स्या, जाति मुसलमान
2. दाऊद स्या पुत्र उमराव स्या. जाति मुसलमान
3. मोहम्मद अयुब स्या पुत्र याकुब स्या, जाति मुसलमान
4. छुट्टन पुत्र गफुर, जाति मुसलमान
5. लतीफ पुत्र गफुर, जाति मुसलमान
6. कालू पुत्र गफुर, जाति मुसलमान
7. वाहिद पुत्र गफुर, जाति मुसलमान
8. मुन्ना पुत्र गफुर, जाति मुसलमान

समस्त निवासीगण गांव अराँई, तहसील अराँई, जिला अजमेर।

...प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अराँई, जिला अजमेर।

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक .....

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि ग्राम अराई पटवार हल्का अराई भू0अ0नि0 अराई जिला अजमेर की जमाबदी सम्वत 2020 में अंकित निम्न खसरा नम्बरो भूमि के खातेदार पीरमिठे साहब स्थान देह, खातेदार खादिम याकुब स्या पुत्र जमाल स्या, उमराव स्या पुत्र पि०मु० गनीस्या, गफुर पुत्र अल्लानुर, घीसा पुत्र नानूशाह, मुसलमान साकिन देह खातेदार दर्ज थे।

वर्किंग खसरा नम्बर		आधार सम्वत 2074–2077	
खसरा नं0	क्षेत्रफल	खसरा नं0	क्षेत्रफल
1598	00–13–00	1598	0.1052
1599	00–11–00	1599	0.0890
1600	00–03–00	1600	0.0243
1601	54–05–00	1601	0.3398 8.4055
1651	00–08–00	1602	0.1456
1653	00–02–00	1651	0.0566
1654	00–07–00	1652	0.0566
1655	80–02–00	1653	0.0162
1745	00–15–00	1654	0.0566
1746	00–06–00	1655	8.4460 3.3978 1.1164
2033	03–08–00	1745	0.1214
2034	00–01–00	1746	0.0485
2802	02–15–01	2033	0.2103

			0.3398
2803	60–02–00	2034	0.0081
		2802	0.4530
		2803	0.8980 6.2698 2.5564
योग 15	204–01–00	योग 16	

यह कि जमाबंदी ग्राम अराँई सम्वत् 2020 में खसरा नम्बर 1071. रकबा 00–13–00, खसरा नम्बर 1072, 00–11–00, खसरा नं. 1073, रकबा 00–03–00, खसरा नम्बर 1074, रकबा 54–01–00. खसरा नम्बर 1409, रकबा 03–08–00, खसरा नं. 1410, रकबा 00–01–00, खसरा नं. 2015, रकबा 02–16–00, खसरा नं. 2016, रकबा 60–02–00 उक्त भूमि पीरसिंहशाह स्थान देह जरिये खातेदार जमाल स्या वल्द खुदा बख्श, गफुर वल्द अल्लानुर स्या, गनी वल्द भूरास्या, घीसा स्या वल्द नानू शाह, जाति मुसलमान साकिन देह दर्ज है। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर वर्किंग जमाबन्दी में पीरमिठे साहब स्थान देह खातेदार खादिम याकुब स्या पुत्र जमाल स्या, उमराव स्या पुत्र गनीस्या, गफुर पुत्र अल्लानुर, घीसा पुत्र नानू स्या, मुसलमान साकिन देह दर्ज था, परन्तु आधार जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरों की भूमि जहां काश्तकार का नाम अंकित होता है, उसमें "पीरमिठे साहब स्थान देह हिस्सा पूर्ण खातेदार" अंकित कर दिया, जो उचित नहीं है। सम्वत् 2074–2077 में केवल पीरमिठे साहब स्थान देह अंकित कर दिया गया, जबकि चौसाला व वर्किंग जमाबन्दी में "पीरमिठे साहब स्थान देह" खातेदार खादिम याकुब स्या पुत्र जमाल स्या, उमराव स्या पुत्र गनीस्या, गफुर पुत्र अल्लानुर, घीसा पुत्र नानू स्या, मुसलमान साकिन देह दर्ज है। इस प्रकार अंकन चौसाला आधार सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में खातेदारों के नाम अंकित नहीं कर गम्भीर त्रुटि की गई है।

नियमों के अंतर्गत अंतिम चौसाला व वर्किंग जमाबन्दी में जो इन्द्राजात होते है, उन्हीं इन्द्राजों को आधार जमाबन्दी में दोहराया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में आधार जमाबन्दी मेंखातेदारों के नाम बिना सक्षम अथॉरिटी के आदेश के बदलना या अंकित नहीं करना, एक त्रुटि है, जिसे दुरस्त करने के लिए श्रीमान् के समक्ष भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी दौरान वर्किंग जमाबन्दी में जो खातेदार थे, उनमें उमराव स्या पुत्र घीसा की मृत्यु हो चुकी है. इनके वारिसान मईनुद्दीन (पुत्र), दाऊद स्या पुत्र (खातून पत्नि मृतक) इसी प्रकार याकुब स्या पुत्र जमाल की भी मृत्यु हो गई है। इनके वारिसों में मृतक की पत्नि राबिया की भी मृत्यु हो गई है। शेष वारिसों में मोहम्मद याकुब पुत्र जीवित है। एक अन्य खातेदार गफुर स्या की भी मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारिस छुट्टन (पुत्र) लतीफ (पुत्र), कालू (पुत्र) है। मृतकों के वारिसान द्वारा ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। मृतकों के स्थान पर इन वारिसानों का नाम बहैसियत खातेदार जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में दर्ज किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा चौसाला सम्वत् 2020 तथा वर्किंग जमाबन्दी में पीरमिठे साहब स्थान देह, खातेदार खादिम याकुब स्या पुत्र जमाल स्या, उमराव स्या पुत्र पि०मु० गनीस्या, गफुर पुत्र अल्लानुर, घीसा पुत्र नानूशाह, मुसलमान साकिन देह खातेदार दर्ज किया गया था। यहीं इन्द्राज अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) में अंकित किये जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रकरण दिनांक 24.12.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन नोटिस प्राप्त हुए । जिसके उपरान्त पेरोकार सरकार काजवाब दिनांक 26.11.2025 के बाद प्राप्त हुआ । दिनांक 14.11.2025 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई । तथा बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया । उसके उपरान्त पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार ग्राम अराई की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074–77 के सेग्रीगेशन के खाता सं. 537 के खसरा स. 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1745, 1746, 2033, 2034, 2802, 2803 कुल किता 16 रकबा 33.1609 हैक्टेयर में पीर मठे साहब स्थान देह हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी नकल संलग्न है। ग्राम अरांई की जमाबन्दी संवत 2020 के खसरा नं. 1071, 1072, 1073, 1074, 1409, 1410, 2015, 2016, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1188, 1189 कुल किता 15 पीर मठे साहब स्थान देह खादिम याकूब शाह व घीसा वल्द जमाल शाह व उमराव पि. मु. गनी शाह व गफूर वल्द अलानूर शाह व घीसा वल्द नानू शाह जाति मुसलमान सा. देह के नाम दर्ज है तथा ग्राम अरांई की जमाबन्दी संवत 2041 के खसरा संख्या 1598, 1599, 1600, 1601, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1745, 1746. 2033, 2034, 2802, 2803 कुल किता 15 में पीर मिठे साहब स्थान देह खातेदार खादिम याकूब स्या पुत्र जमाल स्या, उमराव स्या पि. मु. गनी स्या, गफूर पुत्र अलानूर, घीसा पुत्र नानू शाह मुसलमान सा. देह दर्ज है तथा नामान्तरण संख्या 61 दिनांक 08.09.1977 से खादिम धीसा के बजाय उमराव स्या पुत्र

WP

घीसा स्या का नोट अंकित है। ग्राम अरांई की जमाबन्दी संवत 2047 2050 में खसरा नं. 1598, 1599, 1600, 1601, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1745, 1746, 2033, 2034, 2802, 2803 कुल किता 15 में पीर मठे साहब स्थान देह खातेदार खादिम याकूब शाह पुत्र जमाल शाह, उमराव शाह मुतबन्ना गनी शाह व गफूर वल्द अलानूर व उमराव शाह वल्द घीसा शाह कौम मुसलमान सा. देह दर्ज है तथा " नामान्तरण संख्या 803 दिनांक 07.09.1993 के अनुसार पूरा खाता पर पी मठे साहब स्थान देह खातेदार का नाम बदस्तूर रखते हुए खादिम याकूब शाह पुत्र जमाल शाह व, उमराव शाह मु गनी शाह व गफूर बल्द अलानूर व उमराव शाह वल्द घीसा शाह कौम मुसलमान सा. देह का नाम हटाने का नवीन अंकन स्वीकार हुआ।" का नोट अंकित है। ग्राम अरांई की जमाबन्दी संवत 2047–50 तथा नामान्तरण संख्या 803 दिनांक 07.09.1993 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। आधार जमाबन्दी संवत 2074–77 में भी उक्त खसरा नं. पीर मीठे साहब स्थान देह हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज है।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार एवं पटवार हल्का अराई की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.11. 2025 अनुसार आधार जमाबंदी सम्वत 2074–77 से उक्त खसरा नं0 पर मीठे साहब स्थान देह हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज है । राजस्व रिकार्ड में उक्त इन्द्राज किसी लिपिकीय त्रृटि से न होकर जरिये नामान्तकरण हुआ है । वकील प्रार्थी नामान्तकरण के संबंध में हुए गलत इन्द्राज हेतु सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकते है । उक्त प्रकरण धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के क्षेत्राधिकार में न होने के कारण खारिज किया जाता है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)